

रजिस्ट्रार सं डी एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]
No. 35]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 1999/वैशाख 23, 1921
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 1999/VAISAKHA 23, 1921

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1999

सं. 8/1(1)/99.—केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 79(2) के प्रथम प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन उत्पादन कम्पनियों के लिए इस विनियम के लागू होने का तारीख 15 मई, 1999 होगी।

इस तारीख तक विद्यमान इस तरह की उत्पादन कम्पनियाँ उस अवधि हेतु, जिसके लिए टैरिफ अनुमोदित किया गया है अथवा इस संबंध में जब तक आयोग द्वारा और कोई अन्य आदेश पारित नहीं कर दिया जाता, जो भी पहले हो, टैरिफ प्रभावित करती रहेंगी।

[विज्ञापन/111/IV/150/99/अ.]